भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3217

उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2020
22 फाल्गुन, 1941 (शक)

इंडोर और आउटडोर खेल

3217. श्री गिरिधारी यादवः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इंडोर और आउटडोर खेलों को बढ़ावा देने के लिए महासंघों और संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 / कंपनी अधिनियम, आदि के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं । ये निकाय संबंधित खेल विधा के समग्र प्रबंधन, निदेशन, नियंत्रण, विनियमन, संवर्धन, विकास और प्रायोजन के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह हैं जिस प्रयोजन के लिए इन्हें संबंधित अंतरराष्ट्रीय परिसंघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई।

सरकार भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (एनएसडीसीआई) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खेलों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करती है । एनएसडीसीआई के अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को स्वस्थ प्रबंधन पद्धतियों, जवाबदेही, पारदर्शिता,निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल संबंधी सीमा, खेलों में सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांत, समुचित लेखांकन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना, आयु संबंधी धोखाधड़ी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा मॉडल चुनावों दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव का आयोजन करना अपेक्षित है । सरकार इस बात पर बल देती है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघ एनएसडीसीआई के प्रावधानों का अनुपालन करें

ताकि वर्ष दर वर्ष आधार पर उनकी मान्यता बरकरार रहे और वे भारत सरकार से वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बन सकें ।

इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में उनकी प्रतिभागिता के वार्षिक लक्ष्यों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) तैयार करने की प्रतिवर्ष की कवायद के तहत विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए अनुमोदित किया जाता है । अनुमोदित एसीटीसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । एनएसएफ के प्रदर्शन की समीक्षा करने का यह तन्त्र एसीटीसी में निहित होता है ।

****